प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा।
5 समस्त उद्योग संघ, उ0प्र0।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी 2024**

विषयः- उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-142/78-1-2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के अन्तर्गत इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गई हैः-

1. **प्रस्तावना**

1.1 इस शासनादेश को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-142/78-1- 2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा अधिसूचित ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के अध्याय-06 के अन्तर्गत पारिभाषित वित्तीय प्रोत्साहनों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के रूप में नामित किया जायेगा।

1.2 यह शासनादेश नीति के अन्तर्गत अध्याय-06 में प्रदत्त प्रोत्साहन लाभों के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना संख्या-142/78-1-2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी 2024 से 05 (पॉच) वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी रहेगा।

2. **परिभाषाएं**

2.1 **उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 की ''परिभाषाओं'' के सम्बन्ध में नीति का अध्याय 8**: शब्दावली (Glossary) में उल्लिखित अंश अवलोकनीय है। नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने के लिए पात्रता तथा परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं:-

2.2.1 **आवेदक/कम्पनी**: इस नीति के प्रयोजन हेतु आवेदक को उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत एक परियोजना स्थापित करने हेतु भारत में पंजीकृत एक विधिक इकाई होना चाहिए। इस प्रस्ताव को निर्धारित ''प्रारम्भिक निवेश प्रस्ताव'' (IIP) प्रपत्र पर, ऐसे निवेश प्रस्तावों को सुविधा देने हेतु नीति के अन्तर्गत नामित नोडल संस्था को प्रस्तुत किया गया हो।

2.2.2 **अनुमोदित परियोजना**: का अभिप्राय है, उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई परियोजना।

2.2.3 **''प्रारम्भिक निवेश प्रस्ताव''(IIP)**: प्रा0नि0प्र0 का अभिप्राय है आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया आवेदन जिसमें आवश्यक सूचनाओं, आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) के साथ पूंजीगत व्यय, परियोजना की वित्तीय जानकारी, अनुमानित कारोबार, व्यवसाय योजना, एस.जी.एस.टी. देनदारियॉ, ऋण-इक्विटी अनुपात, विस्तृत परियोजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रिपोर्ट इत्यादि का उल्लेख करने वाले सहायक अभिलेख सम्मिलित हो। प्रा0नि0प्र0 में आवेदक द्वारा मॉगे गये राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों का भी उल्लेख होना चाहिए।

2.2.4 **वित्तीय व्यवस्था (Finacial Closure)**: वित्तीय व्यवस्था का अर्थ हैः-

(अ) प्रस्तावित निवेश के ऋण अंश के लिए पुष्ट, ऋण-अनुबन्ध तथा

(ब) ईक्विटी के लिए धन जुटाने हेतु ईक्विटी प्रदाताओं की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया, कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन-पत्र अथवा

(स) विद्यमान इकाई की स्थिति में, फण्डिंग हेतु आन्तरिक रूप से धन जुटाने की प्रतिबद्धता हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन-पत्र

(द) विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन-पत्र

2.2.5 **स्थिर पूंजी निवेश:** का अर्थ है, निवेश की पात्र अवधि के दौरान भवन, संयंत्र और मशीनरी, यूटीलिटीज, औजार और उपकरणों तथा अन्तिम उत्पाद (end product) के विनिर्माण हेतु आवश्यक ऐसी ही किसी भी अन्य परिसम्पत्ति में किया गया निवेश। स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूंजीगत निवेश एवं परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं।

2.2.6 **सेमीकण्डक्टर और डिस्पले फैब्स के स्थापना के लिए पात्र पूंजी निवेशः** जैसाकि सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए संशोधित योजना के दिशानिर्देशों की धारा-2.12 में वर्णित है (अधिसूचना संख्या-CG-DL-E-06102022-239339) तथा डिस्पले फैब्स के लिए संशोधित योजना के दिशानिर्देश (अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239340), पत्रावली संख्या W-38/21/2022/IPHW)दिनांक 29.05.2023

परियोजना लागत में निम्नलिखित पर पूंजीगत व्यय/निवेश सम्मिलित होगा:-

- भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, क्लीन रूम, उपकरण एवं प्रासंगिक यूटिलिटीज पर पूंजीगत व्यय/ निवेश
- अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण
- अन्य प्रासंगिक लागत यथा निर्माण अवधि में ब्याज तथा बीमा लागत

2.2.7 **कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब तथा सेमीकण्डक्टर ए.टी.एम.पी. तथा ओ.एस.ए.टी. की स्थापना हेतु पात्र निवेशः** जैसाकि भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब तथा सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.) तथा आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) के लिए अधिसूचना संख्या CG-DL-E-10062023-246449 दिनांक 09-06-2023 द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239341 दिनांक 04-10-2022 द्वारा संशोधित योजना के दिशा-निर्देशों की धारा-2.11 में वर्णित है, पत्रावली संख्या W-38/21/2022/IPHW, दिनांक 30.06.2023

- भवन, संयंत्र, मशीनरी, क्लीन रूम, उपकरण एवं प्रासंगिक यूटिलिटीज पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय/निवेश
- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण अनुबन्ध से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय/निवेश
- अन्य प्रासंगिक लागत यथा निर्माण अवधि में ब्याज तथा बीमा लागत
- परियोजना/इकाई के लिए वॉछित भूमि पर किये गये व्यय को योजना के अन्तर्गत पात्र पूंजीगत व्यय/निवेश के आगणन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.2.8 **अयोग्य पूंजी निवेश:** निम्नलिखित को स्थिर पूंजी निवेश की गणना हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगाः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- कार्यशील पूंजी
- साख
- रॉयल्टी
- प्रारम्भिक एवं संचालन-पूर्व व्यय
- ब्याज का पूंजीकरण
- कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, बिजली उत्पादन
- तकनीकी-ज्ञान शुल्क/परामर्शी-शुल्क
- पुराने संयंत्र एवं मशीनरी
- कोई भी संयंत्र और मशीनरी जिसका भुगतान नकद में किया गया है।

2.2.9 **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि:** का अर्थ है वह तिथि जब अनुमोदित परियोजना में कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया जाता है।

2.2.10 **प्रभावी तिथिः** का अर्थ है जब यह नीति प्रभावी हुई यथा 19-01-2024, उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित होने की तिथि।

2.2.11 **प्रभावी अवधि:** का अर्थ है अधिसूचना संख्या-142/78-1-2024-14/2024 दिनॉक 19 जनवरी 2024 से 05 वर्ष अर्थात् 19-01-2024 से 18-01-2029 तक की अवधि, अथवा जब तक इसे उ0प्र0 शासन द्वारा संशोधित अथवा निरस्त नहीं कर दिया जाता।

2.2.12 **प्रत्यक्ष कर्मचारीः** का अर्थ है कम्पनी के पे-रोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी/श्रमिक।

2.2.13 **अप्रत्यक्ष कर्मचारी:** का अभिप्राय है पूरक इकाइयों/सहायक ईकोसिस्टम सहित, कम्पनी के लिए संविदा के आधार पर, अथवा तृतीय पक्ष के पे-रोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी/श्रमिक।

2.2.14 **वित्तीय वर्षः** का अभिप्राय है कि वित्तीय वर्ष, कैलेण्डर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.2.15 **नोडल संस्थाः** का अर्थ है यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। नोडल संस्था का पता प्रथम तल, नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 है।

2.2.16 **परियोजना स्वीकृति तिथिः** का अभिप्राय है वह तिथि जब नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी किया गया हो।

2.2.17 **स्वीकार्यता तिथिः** का अर्थ है वाणिज्यिक उत्पादन के पश्चात जिस तिथि को कम्पनी द्वारा प्रथम वाणिज्यिक बीजक निर्गत करके उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत प्रोत्साहनों का दावा करने के लिए पात्र हो जाती है।

2.2.18 **प्रोत्साहन की अवधिः** का अर्थ है कि वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से आवेदक को उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन की अवधि। नीति अवधि के विस्तार पर निर्णय नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2.19 **नीति अवधि तथा प्रयोज्यताः** उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 इसकी अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए वैध है। यह नीति पूरे राज्य को आच्छादित करती है। नीति की अधिसूचित तिथि से निवेश अनुमन्य होगा।

योजना से लाभान्वित होने वाली संस्थाओं को सम्पूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन की आरम्भ तिथि से कम से कम तीन वर्षों तक अपने वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और उन्हें इस आशय का एक औपचारिक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.2.20 **लेटर ऑफ कम्फर्टः** लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) का अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक की परियोजना पर स्वीकृति के उपरान्त नोडल संस्था द्वारा जारी किया गया आदेश-पत्रक। लेटर ऑफ कम्फर्ट में स्थिर पूंजी निवेश (FCI), भूमि, रोजगार तथा परियोजना के अन्य विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के साथ-साथ आवश्यक नियम तथा शर्तों का उल्लेख सम्मिलित होगा।

2.2.21 **नीति कार्यान्वयन इकाईः** का आशय है आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2024/158/78-1-2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति।

2.2.22 **सशक्त समिति:** का आशय है आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2024/159/78-1-2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति।

2.2.23 **सक्षम प्राधिकारी:** नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए माननीय राज्य मॅत्रिपरिषद सक्षम प्राधिकारी है, जिसके द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई एवं तत्पश्चात सशक्त समिति की संस्तुति के आधार पर परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

2.2.24 **इकाई/परियोजना:** उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत एक इकाई अथवा एक परियोजना का अभिप्राय है राज्य में स्थापित की जा रही एक नई इकाई।

2.2.25 **सेमीकण्डक्टर इकाइयाँ** का तात्पर्य है सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डटक्र फैब,सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी. एम.पी.)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा

2.2.26 **सेमीकण्डक्टर विनिर्माणः** विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों में प्रयुक्त होने वाले सेमीकण्डक्टर डिवाइसेज के सृजन की प्रक्रिया।

2.2.27 **इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन:** इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन डिजिटल इण्डिया कारपोरेशन, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत सेमीकण्डक्टर्स और डिस्पले विनिर्माण ईकोसिस्टम के विकास हेतु कार्यक्रम/संशोधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था है।

2.2.28 **भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए संशोधित योजना** भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-04102022-239339 द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित योजना भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। परियोजना लागत में भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा प्रासंगिक यूटिलिटीज की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लागत सम्मिलित है। वित्तीय सहायता आवेदन के अनुमोदन उपरान्त, पारी पासु आधार पर योजना के दिशानिर्देशों तथा अनुमोदन पत्र में प्रदत्त नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

2.2.29 **भारत में डिस्प्ले फैब्स** के लिए संशोधित योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या-CG-DL-E-CG-DL-E-04102022-239340 द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित योजना भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। परियोजना लागत में भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा प्रासंगिक यूटिलिटीज की लागत सम्मिलित है। वित्तीय सहायता आवेदन के अनुमोदन उपरान्त, पारी पासु आधार पर योजना के दिशानिर्देशों तथा अनुमोदन पत्र में प्रदत्त नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

2.2.30 **भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स तथा ए.टी.एम.पी. सुविधाओं के लिए संशोधित योजना**: भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या CG-DL-E-06102022-239341 द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित योजना भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर फैब/डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब और सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एवं टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधाओं की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहयोग प्रदान करती है।

2.2.31 **कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्सः** आवर्त सारणी में विभिन्न समूहों के दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित अर्द्धचालक सामग्री।

2.2.32 **डिस्पले फैब्रीकेशनः** इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयुक्त डिस्प्ले के निर्माण की प्रक्रिया।

2.2.33 **फैबलेस ईकोसिस्टम :** इन-हाउस निर्माण सुविधाओं के बिना सेमीकण्डक्टर चिप डिजाइन और विकास पर केन्द्रित एक ईकोसिस्टम।

2.2.34 **पारीपासुः**"नो-लियन एकाउण्ट (एन.एल.ए)" में अन्य स्त्रोतों के साथ-साथ आवेदक/परियोजना कम्पनी द्वारा जुटाए जाने वाले सम्बन्धित शेयर के बाद नोडल संस्था द्वारा आनुपातिक भुगतान जारी किया जायेगा। नो-लियन एकाउण्ट में जमा राशि का उपयोग केवल अनुमोदित परियोजना के लिए अधिकृत व्यय के लिए किया जायेगा।

2.2.35 **नॉन-डिस्टर्बेन्स प्राविधानः** नीति उल्लंघनों के कारण पट्टा निरस्त करने के लिए निदेशक मण्डल की स्वीकृति की आवश्यकता के द्वारा व्यवसाय की निरन्तरता सुनिश्चित करने वाला एक प्राविधान।

2.2.36 **आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली एवं टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा:** एक सुविधा जो सेमीकण्डक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग सेवायें प्रदान करती हैं।

2.2.37 **सेमीकण्डक्टर फैब्रीकेशन (फैब):** सेमीकण्डक्टर उपकरण बनाने की प्रक्रिया जिसे सेमीकण्डक्टर विनिर्माण भी कहा जाता है।

2.2.38 **सेमीकण्डक्टर फोटोनिक्स:** सूचना के प्रसंस्करण और प्रसारण के लिए फोटॉन (प्रकाश कण) के उपयोग से सम्बन्धित सेमीकण्डक्टर प्रौद्योगिकी की शाखा।

2.2.39 **स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस.ई.जेड):** एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहॉ निवेश आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और ट्रेडिंग कानून देश के शेष हिस्सों से अलग हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2.40 **पूंजीगत उपादान:** सेमीकण्डक्टर विनिर्माण परियोजनाओं द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।

2.2.41 **स्टाम्प ड्यूटी:** विधिक दस्तावेजों पर, विशेषकर भूमि के क्रय या पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों पर लगाया जाने वाला कर।

2.2.42 **विद्युत उपादान:** एक वित्तीय प्रोत्साहन जो सेमीकण्डक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए बिजली की लागत को कम करता है।

2.2.43 **विद्युत शुल्कः** विद्युत के उपयोग पर एक प्रकार का कर।

2.2.44 **डुएल पॉवर ग्रिड नेटवर्क:** सेमीकण्डक्टर फैब्स के लिए निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक अनावश्यक विद्युत आपूर्ति बुनियादी ढॉचा।

2.2.45 **ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग चार्जेस:** विद्युत के पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित लागत।

2.2.46 **आवश्यक सेवायें और रखरखाव अधिनियम (ई.एस.एम.ए):** वह अधिनियम जो कुछ उद्योगों या सेवाओं को आवश्यक के रूप में निर्दिष्ट और उनके निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करता है।

2.2.47 **ओपेन एक्सेस:** इकाइयों के लिए ग्रिड अथवा अन्य प्रदाताओं से सीधे बिजली खरीदने की क्षमता।
2.2.48 **पॉवर बैंकिंगः** अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहीत करने और आवश्यकता होने पर उसका उपयोग करने की क्षमता।
2.2.49 **स्व-प्रमाणन:** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इकाइयॉ बाहरी निरीक्षण की आवश्यकता के बिना कुछ श्रम कानूनों के अनुपालन की उदघोषणा कर सकती है।
2.2.50 **बैंक/वित्तीय संस्थानः** समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।
2.2.51 **राज्य अभिकरण**

i. विकास प्राधिकरण
ii. आवास परिषद
iii. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम
iv. सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

3 **स्वीकार्य प्रोत्साहन-लाभ**

इस नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हैं। तथापि भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन सहित, किसी इकाई द्वारा समस्त स्त्रोतों से दावा किया गया प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा न कहा गया हो, पात्र परियोजना लागत के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

पात्र पूंजीगत निवेश

i. **सेमीकण्डक्टर फैब्सः** परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 29 मई 2023 को निर्गत दिशानिर्देशों की धारा 2.12 के तहत पारिभाषित गतिविधियों, जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया जाये, तक सीमित होगी। (उपरोक्त उप-प्रस्तर 2.2.6)

ii. **डिस्पले फैब्सः** परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता भारत में डिस्पले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 मई 2023 को निर्गत दिशानिर्देशों की धारा 2.12 के तहत पारिभाषित गतिविधियों, जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया जाये, तक सीमित होगी। (उपरोक्त उप-प्रस्तर 2.2.6)

iii. **ए.टी.एम.पी./ओ.एस.ए.टीः** परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता भारत में ए.टी.एम.पी./ओ.एस.ए.टी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जून 2023 की धारा 2.11 के तहत पारिभाषित गतिविधियों, जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया जाये, तक सीमित होगी। (उपरोक्त उप-प्रस्तर 2.2.7)

3.1 **वित्तीय प्रोत्साहन**

3.1.1 **पूंजीगत उपादान:** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत उपादान का 50 प्रतिशत। इस उपादान का वितरण भारत सरकार द्वारा दिए गये उपादान के Pari passu मोड में होगा।

3.1.2 **ब्याज उपादान:** अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर 200 करोड़ रूपये तक के निवेश वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (ब्याज की दर पर) के ब्याज उपादान की प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक की जायेगी। (प्रति इकाई अधिकतम रु 7 करोड़)

3.1.3 **भूमि की दर में छूट:** इस नीति के प्रस्तर 4.2.3 के अन्तर्गत आने वाली उत्पादन इकाइयों के लिए, प्रचलित दर पर छूट प्रदान की जायेगीः-

i. राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि हेतु प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत उपादान।

ii. इकाई अथवा सहायक इकाइयों के लिए भूमि के अतिरिक्त क्रय पर 30 प्रतिशत उपादान की अनुमति होगी।

3.1.4 **स्टाम्प शुल्क और निबन्धन शुल्क:** भूमि की खरीद/पट्टे पर 100 प्रतिशत छूट

3.1.5 **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी:** 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट

3.1.6 राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पॉवर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जायेगा। एक ग्रिड (दोनों में से कम) की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत निवेशक द्वारा वहन की जायेगी।

3.1.7 **ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग चार्जेसः-**

परियोजना के परिचालनरत होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत की अंतःराज्यीय खरीद पर व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

3.1.8 **कौशल और प्रशिक्षण के लिए सहायता**

चिप डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर उद्योग के सहयोग हेतु एक कुशल जनशक्ति पूल तैयार करने के लिए, राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के साथ सहयोग आमंत्रित करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर कौशल और प्रतिभा विकास गतिविधियों की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे, यथाः-

अ) फैकल्टी प्रशिक्षण/तकनीकी कार्यशालाओं/जागरुकता कार्यक्रमों/विशेषज्ञ व्याख्यानों हेतु 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रु 60 लाख तक, कुल 3.00 करोड़ रूपये

ब) बी.टेक और एम.टेक स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री इन्टर्नशिप योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 500 छात्रों तक प्रति छात्र रु 20,000 की इन्टर्नशिप सहायता।

स) सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक उदीयमान उद्योग है, इसमें विश्व स्तरीय प्रतिभा की आपूर्ति भारत में सीमित है। इस अंतर को तटस्थ करने और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की स्थापना में विश्व स्तरीय प्रतिभा को प्रवृत्त करने के लिए, ऐसी प्रतिभाओं के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति हेतु 'एक बार की सहायता' (One Time Support) के रूप में 12 माह तक की अवधि में अधिकतम रु 01 करोड़ प्रति इकाई की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

3.1.9 **Stand alone अनुसंधान एवं विकास केन्द्रः** की स्थापना की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जोकि अधिकतम रू 10 करोड़ की सीमा तथा निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन होगीः-

(क) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में न्यूनतम रू 20 करोड़ का पात्र पूंजी निवेश किया गया हो।

(ख) औद्योगिक इकाई के भीतर या बाहर स्पष्ट रूप से सीमांकित सुविधा होनी चाहिये।

(ग) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अथवा एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया) में पंजीकृत होना चाहिये।

(घ) सब्सिडी किश्तों में प्रदान की जायेगी, जिसमें से 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त परियोजना का अनुमोदन प्रदान होने पर, 25 प्रतिशत की अगली किश्त अनुमोदन के 03 वर्ष बाद तथा 25 प्रतिशत की अंतिम किश्त 05 वर्ष में प्रतिबद्ध परिणाम प्राप्त होने पर प्रदान की जायेगी।

3.1.10 **उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)**

सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में अनुसंधान, एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति के अन्तर्गत उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढॉचा तैयार करने की परिकल्पना की गई है। नीति का उद्देश्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/उद्योग अथवा किसी अन्य शासकीय/निजी इकाई के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाना है। उत्कृष्टता केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

संस्था को उपरोक्त प्रस्तर 3.1.9 अथवा 3.1.10 में से केवल एक ही विकल्प पर विचार करना चाहिए, अर्थात या तो वे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र अथवा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

3.1.11 **पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति**

पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये शुल्क-व्यय के 75 प्रतिशत की दर से (एकमुश्त) प्रतिपूर्ति की जायेगी, जोकि घरेलू पेटेण्ट प्राप्त करने के लिये अधिकतम रू 10 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेण्ट प्राप्त करने के लिये अधिकतम रू 20 लाख की सीमा के अधीन होगी।

3.1.12 **औद्योगिक आवास**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इकाई के परिसर के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों के आवास/छात्रावास और सम्बन्धित सामूहिक सुविधा के विकास की लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु 10 करोड़, जो भी कम हो, 7 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा।

3.2 गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

3.2.1 **मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरः** राज्य में सेमीकण्डक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रख-रखाव अधिनियम (ई.एस.एम.ए.) के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

3.2.2 **जलापूर्तिः** औद्योगिक प्राधिकरण चौबीस घण्टे पर्याप्त पानी उपलब्ध करायेंगे तथा एस.टी.पी. निस्तारण की सुविधा प्रदान करेंगे/बनायेंगे।

3.2.3 इकाई को 'ओपन एक्सेस' के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

3.2.4 इकाई को नवीकरणीय/हरित ऊर्जा के लिए पॉवर बैंकिंग प्रदान की जायेगी, यह राज्य के विद्युत नियामक आयोग (ई.आर.सी.) दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होगा।

3.2.5 सरकार पावर ग्रिड में पर्याप्त अतिरिक्तता (redundancy) सुनिश्चित करेगी ताकि फैब परियोजनाओं के निर्बाध संचालन के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा सके।

3.2.6 **नॉन-डिस्टर्बेन्स प्राविधानः** सुनिश्चित व्यापार निरन्तरता प्रदान करने के लिए, जब एक बार विकासकर्ता ने निवेश पूर्ण कर लिया और सम्बन्धित प्राधिकरण से पूर्णता प्राप्त कर लिया और पूरा लीज रेन्ट भुगतान कर दिया है तो किसी सेमीकण्डक्टर इकाई द्वारा किसी भी मानदण्ड/ उपनियम के उल्लंघन के मामले में पट्टा विलेख निरस्त करने के लिए प्राधिकरण के निदेशक मण्डल की स्वीकृति एक पूर्व आवश्यकता होगी।

3.2.7 **तीन पालियों में परिचालनः** सेमीकण्डक्टर इकाइयों को 24x7 परिचालन और तीन पालियों में महिलाओं के रोजगार की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी सुरक्षित की जाये।

3.2.8 **स्व-प्रमाणन:** सेमीकण्डक्टर इकाइयों को विशिष्ट शिकायतों से उत्पन्न निरीक्षणों को छोड़कर निम्नलिखित अधिनियमों और उनके तहत नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट है। इन इकाइयों को निर्धारित प्रारूपों में स्व-प्रमाणन प्रमाण-पत्र दाखिल करने की अनुमति हैः-

- फैक्ट्री अधिनियम
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
- अनुबन्ध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम
- वेतन भुगतान अधिनियम
- न्यूनतम वेतन अधिनियम
- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम

4 नीति प्रयोज्यता

ऐसी परियोजना जो भारत सरकार के इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन (आई.एस.एम) की निम्नलिखित योजनाओं में से किसी के तहत योग्य है, इस नीति के अन्तर्गत पात्र होगीः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.1 भारत में सेमीकण्डक्टर फैब्स के स्थापना की योजना

4.2 भारत में डिस्पले फैब्स के स्थापना की योजना

4.3 भारत में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स सेन्सर फैब और सेमीकण्डक्टर असेम्बली,परीक्षण,मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना।

4.4 ऐसी कोई अन्य समान योजना जो भारत सरकार द्वारा संशोधित या प्रस्तावित की जा रही हो।

4.5 डिजाइन लिंक्ड इन्सेन्टिव के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा फैब-लेस गतिविधियों से सम्बन्धित परियोजनायें इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगी, यद्यपि निवेशक उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनिति सेवा नीति-2022 के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

5 मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया

5.1 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।

5.2 नीति के अन्तर्गत एक नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में किया गया है तथा इसमें निम्नवत् अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं:-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

5.3 नीति कार्यान्वयन इकाई निवेश प्रस्तावों के परीक्षण और आवश्यक अनुमोदन के लिए सशक्त समिति को अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.4 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है, तथा इसमें निम्नवत् अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं। सशक्त समिति परियोजनाओं पर नीति कार्यान्वयन इकाई की अनुशंसा के उपरान्त, मा. मँत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति के लिए प्राधिकृत है।

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य सिचव

5.5 मा. मंत्रिपरिषद द्वारा नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनाओं के मामलों में (इकाई को अनुमन्य होने वाले) हितलाभ पर सशक्त समिति की संस्तुतियां के आधार पर विचार किया जायेगा एवं अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

5.6 **अनुमोदन प्रक्रिया**

सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन, कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स (SiPh), सेन्सर (एमईएमएस सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब तथा भारत में सेमीकण्डक्टर असेम्बली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/आउटसोर्स सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा से जुड़ी पहल के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव जो भारत सरकार के इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन (आई.एस.एम.) द्वारा समर्थित है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर संचालित हैं, मा0 राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। मा0 राज्य मॅत्रिपरिषद द्वारा यह अनुमोदन सशक्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुशंसा के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

- **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन की प्रक्रियाः** जिन प्रस्तावों को इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और जो उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर सुविधायें (जैसाकि प्रस्तर 4.1, 4.2 और 4.3 में पारिभाषित हैं), स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वीकृत प्रोत्साहन इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन द्वारा अनुमोदित कुल पात्र परियोजना लागत के 100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और निर्गत किया गया लेटर ऑफ कम्फर्ट भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रभावी होगा।

- आवेदक को इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के तहत आवेदन करना होगा।

5.7 **आवेदन प्रक्रिया**

5.7.1 निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश का सिंगल विन्डो पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in/) एक ऑल-इन-वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। यह ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड, शुल्क भुगतान, लाइव स्थिति ट्रैकिंग और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनापत्ति की सुविधा प्रदान करता है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में व्यवसाय आरम्भ करने और संचालन के लिए स्थापना-पूर्व, संचालन-पूर्व, नवीनीकरण और अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों के लिए आवश्यक स्वीकृति, लाइसेन्स, लेटर ऑफ कम्फर्ट और अनापत्ति निर्गत करने की सुविधा प्राप्त है।

5.7.2 आवेदकों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल का उपयोग करना चाहिए, जोकि उन्हें ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबन्धन प्रणाली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यहाँ पर उन्हें उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से लेटर ऑफ कम्फर्ट(एल.ओ.सी) के लिए आवेदन करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव के आवश्यक विवरण एवं अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

5.7.3 प्रोत्साहनों के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे।

5.7.4 नोडल संस्था द्वारा नामित मूल्यॉकन एजेन्सी/पी.एम.यू. द्वारा निवेशक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं दस्तावेजों का मूल्यॉकन किया जायेगा।

5.7.5 मूल्यांकन रिपोर्ट आख्या प्राप्त होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा आवेदन की प्राथमिक जॉच की जायेगी।

5.7.6 नोडल संस्था द्वारा आवश्यक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख मांगे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा समयबद्ध रूप से, यथासम्भव 7 दिनों के अन्दर सूचनायें प्रदान की जायेंगी।

5.8 **निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन**

5.8.1 परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा, अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5.8.2 समस्त निवेश प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा सभी निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगे।

5.8.3 निवेश प्रस्तावों पर मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) निर्गत किया जायेगा।

5.8.4 मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गमन उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) प्रासंगिक नियमों और शर्तों के साथ-साथ, स्वीकृत लाभों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.8.5 लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियाँ जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सू0प्रौ0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन तथा अन्य हितधारकों को पृष्ठॉकित की जायेंगी।

5.8.6 लेटर ऑफ कम्फर्ट मे प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अनन्तिम होगी तथा निवेशक द्वारा दावा की गई प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष सक्षम स्तर द्वारा संवितरण हेतु अनुमोदित प्रोत्साहन राशि अन्तिम होगी।

5.8.7 प्रोत्साहन के लाभ (परिमाण/अवधि) की सीमा समाप्त हो जाने अथवा नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

5.8.8 यदि निवेशक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया है तो लेटर ऑफ कम्फर्ट को निरस्त माना जायेगा तथा निवेशक/ कम्पनी को प्रदान किये गये सभी हितलाभ राज्य कानूनों के अन्तर्गत वसूली योग्य हो जायेंगे।

5.8.9 योजना से लाभान्वित होने वाली संस्थाओं को सम्पूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन की आरम्भ तिथि से कम से कम तीन वर्षों तक अपने वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और उन्हें इस आशय का एक औपचारिक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. वित्तीय प्रोत्साहन का वितरण

पूंजीगत प्रोत्साहन, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त है, केवल उसी स्थिति में संवितरित किया जायेगा, जब भारत सरकार द्वारा अपना अंश निर्गत कर दिया जाये। पूंजीगत उपादान का वितरण राज्य सरकार द्वारा Pari passu मोड में किया जाएगा।

पूंजीगत उपादान, भूमि की लागत में छूट एवं स्टाम्प शुल्क में छूट के अतिरिक्त नीति के अन्तर्गत प्राविधानित अन्य सभी राजकोषीय प्रोत्साहन, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर पात्र होंगे।

6.1 अन्य प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु आवेदक द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट के अनुसार प्रोत्साहन दावे का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2 नोडल संस्था द्वारा संवितरण प्रारूप(सं.प्रा.) तथा आवश्यक सहायक अभिलेखों का परीक्षण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/सूचीबद्ध वैल्यूअर से कराया जायेगा।

6.3 पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आगणन बैंक/वित्तीय संस्थानों अथवा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित समिति अथवा इस हेतु नियुक्त वित्तीय परामर्शी/राज्य सरकार की संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।

6.4 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) को लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु आवश्यक सहायक अभिलेखों तथा प्रमाणपत्र को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने तथा नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत क्रिया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

6.5 प्रोत्साहन संवितरण के प्रकरणों को माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती संवितरण नीति कार्यान्वयन इकाई के ही अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे। तथापि निवेशक द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

नई मद में प्रोत्साहन हेतु मांग की दशा में, प्रथम संवितरण हेतु प्रकरण को पुनः माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुवर्ती संवितरण सशक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे।

6.6 निवेशक को समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किया जायेगा।

6.7 सभी अस्वीकृत संवितरण प्रारूप(सं.प्रा.) की सूचना नोडल संस्था द्वारा, निवेशक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दी जायेगी।

7 **आवेदनों का परीक्षण**

नोडल संस्था में गठित की गई नीति प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) द्वारा आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा।

7.1 **पी.एम.यू. की संरचनाः** पी.एम.यू. में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शियों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे। पी.एम.यू. को व्यक्तियों या फर्मों या एजेन्सियों के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इंजीनियरों, लागत लेखाकारों, जी.एस.टी. लेखापरीक्षकों आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

7.2 **पी.एम.यू. की भूमिका**

(i) पी.एम.यू. द्वारा प्रत्येक आवेदन की पूर्णता एवं सुसंगता की जांच की जाएगी तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटियों एवं विसंगतियों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पी.एम.यू. में नोडल अधिकारी आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के विषय में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदक से ऑनलाइन प्रतिक्रिया मांगने के लिए पृच्छा करेगा।

(iii) इस प्रकार की जांच, नोडल संस्था द्वारा पूर्ण करके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 7 कार्यदिवस के भीतर पृच्छा की जायेगी। आवेदक द्वारा पृच्छा की तिथि से 7 कार्यदिवस के भीतर पृच्छा का उत्तर देना होगा। यदि नोडल संस्था को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा अनुवर्ती पृच्छा भी की जा सकती है। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, नोडल संस्था तथा आवेदक, दोनों के लिए 07 कार्यदिवस की समय-सीमा लागू है।

(iv) पी.एम.यू. द्वारा विशिष्ट आई.डी. के माध्यम से किसी भी आवेदक को प्रदान की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट को भी ट्रैक किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आवेदक को कुल स्वीकार्य प्रोत्साहन, नीति के अनुसार किसी भी चयनित विकल्प के तहत स्वीकार्य प्रोत्साहन की समग्र सीमा से अधिक नहीं है।

8 **प्रोत्साहन संवितरण**

8.1 पूंजीगत उपादान, भूमि की लागत में छूट एवं स्टाम्प शुल्क में छूट के अतिरिक्त नीति के अन्तर्गत प्राविधानित अन्य सभी राजकोषीय प्रोत्साहन, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर पात्र हों। चरणवार निवेश की दशा में प्रत्येक चरण के वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि को दृष्टिगत रखा जायेगा।

8.2 वित्तीय प्रोत्साहनों का आवेदन वार्षिक रूप से किया जा सकता है। निवेशक द्वारा प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन, प्रोत्साहन देय (due) होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

8.3 अनुमोदन/अस्वीकृति/अनुशंसा के मामले में, विवरण लिखित रूप में अंकित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8.4 पूंजी उपादान के संवितरण हेतु नोडल संस्था, स्थलीय निरीक्षण अथवा अभिलेखों के परीक्षण के माध्यम से निवेशक द्वारा पूंजी निवेश (प्राप्त किया गया ऋण, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, औद्योगिक आवास, फैकल्टी प्रशिक्षण/तकनीकी कार्यशालां, जागरुकता कार्यक्रम तथा विश्वस्तरीय प्रतिभा के पारिश्रमिक) के निर्धारण हेतु जब भी आवश्यक समझे, एक अतिरिक्त समिति/व्यक्ति/एजेन्सी नियुक्त/करने के लिए स्वतंत्र है। किसी दृष्टिगत अन्तर के मामले में निवेशक को स्पष्टीकरण देने और अतिरिक्त अभिलेख/सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

8.5 रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों को ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, बैंक द्वारा प्रभारित कुल ब्याज दर के सापेक्ष 5 प्रतिशत बिन्दु तक की जायेगी तथा शेष ब्याज निवेशक द्वारा वहन किया जाना होगा। उदारणार्थः यदि किसी निवेशक द्वारा बैंक को 12% ब्याज दिया जा रहा है तो नीति के अनुरूप निवेशक को निर्धारित सीमा तक 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा शेष 7% ब्याज निवेशक द्वारा बैंक को भुगतान किया जाना होगा।

8.6 जानबूझकर व्यतिक्रम (Default) अथवा बैंक द्वारा परिसमापन घोषित किये जाने की स्थिति में, उसके पश्चात ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नोडल संस्था/प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

8.7 निवेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पेटेन्ट्स फाइलिंग से सम्बन्धित अभिलेख नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे। नोडल संस्था द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि में आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा नोडल संस्था द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख आवेदक द्वारा 15 दिनों में उपलब्ध करवाई जायेंगी। यह उपादान इकाई को पेटेन्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

8.8 **उत्कृष्टता के केन्द्र**

उत्कृष्टता केन्द्रों के विकास के प्रस्तावों पर उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

8.9 **अनुसंधान एवं विकास सहायता**

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अथवा एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को प्रोत्साहनों का संवितरण उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

8.10 ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग चार्जेस एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से सम्बन्धित छूट की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश ऊर्जा विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

8.11 बी.टेक और एम.टेक स्नातकों के लिए इन्टर्नशिप सहायता सी0एम0 इन्टर्नशिप योजना के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

9 **प्रशासनिक व्यय**

निवेशक इकाई को स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (अधिकतम रु 5.00 करोड़) प्रशासनिक व्यय के रूप में नोडल संस्था यूपीएलसी को प्राप्त होगी, जिसे संवितरण की धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा। उक्त धनराशि में नोडल संस्था द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स/मान्यताप्राप्त वैल्युअर्स/अभियन्ताओं के माध्यम से, निवेशक द्वारा किये गये पूंजी निवेश के सत्यापन में हुए व्यय की धनराशि भी सम्मिलित है।

10 व्यय-भार

वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

11 **प्रोत्साहनों के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेशक द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि निवेशक/ इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही निवेशक/इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2024/254/78-1-2024 एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन।
12 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
14 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
15 कार्यकारी निदेशक, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
16 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
17 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
18 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।